उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(विधि-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 1, 2000

जी.एस.आर. 37-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन - राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 16 में अभिव्यक्ति "रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प. 8(1) विधि-2/99]

राज्यपाल के आदेश से,

हरबंस लाल

शासन सचिव

❖ ❖ ❖